अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या– १८० / 1–11–2017–8(जी) / 2017

प्रेषक,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश

2– समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः ।। अगस्त, 2017

विषयः–वर्ष 2017 में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को तत्काल बचाव/राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्रांक 3244/2016–सत्ताईस–सिं–2–5(बाढ़)/2012, दिनांक 25 जुलाई, 2016, पत्रांक 682/17–27–सिं–2–48 बाढ़/15, दिनांक 19 अप्रैल, 2017 तथा शासनादेश सं0 292/1–11–2017–8(जी)/2017 दिनांक 31.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत बाढ़ प्रबन्ध योजना बनाये जाने, योजना के क्रियान्वयन तथा प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को तत्काल बचाव/राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त बाढ़ की तैयारियों के सम्बन्ध में दिनांक 24.06.2017 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा भी सम्बन्धित जिलाधिकारियों को बाढ़ की तैयारी तथा प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2– वर्तमान में मानसून की वर्षा के कारण कतिपय नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है जिसके कारण विभिन्न जनपदों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस सम्बन्ध में कतिपय जनपदों से बाढ़ के कारण जनहानि एवं पशुहानि की सूचनायें भी प्राप्त हो रही हैं। उक्त के दृष्टिगत बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिए तत्काल बचाव एवं राहत कार्य किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिए बचाव एवं राहत कार्य के लिए निम्नलिखित विन्दुओं पर त्वरित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जायः–

(1) जनपद में बाढ़ कन्ट्रोल रूम को 24 घण्टे क्रियाशील रखा जाय एवं कार्मिकों/अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी जाय एवं प्राप्त सूचनायें रजिस्टर में अंकित करने के साथ ही उन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(2) जनपद में सभी बाढ़ चौकियों को 24 घण्टे क्रियाशील रखा जाय।

(3) तटबन्धों/बन्धों की निगरानी तथा कटान व दरार आदि को रोकने हेतु समुचित प्रभावी उपाय किये जायँ।

(4) जलस्तर बढने पर निकटवर्ती ग्रामवासियों/परिवारों को त्वरित माध्यम से सूचित करते हुए सुरक्षित रूप से राहत शिविरों में पहुँचाया जाय।

(5) बाढ़ से घिरे लोगों को निकालने हेतु नावों की व्यवस्था कर ली जाय। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर संचालित किए जायँ एवं उसमें समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायँ।

(6) पशुओं का टीकाकरण कराया जाय तथा चारे की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।

(7) बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ कर ली जायँ तथा पर्याप्त मात्रा में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय।

(8) गम्भीर बाढ़ की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य हेतु पी0ए0सी0 बाढ़ वाहिनी एवं गोताखोरों तथा एन0डी0आर0एफ0 की सहायता प्राप्त कर ली जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव